संख्या-17/2022 /आई/202175/2022/फा0नं0-10-22099/218/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार से संशोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं:-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 9000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि की सीमा को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हों, तो उनका योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 67,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 30 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

4- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे, जिनको सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं, चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुयी हो ।

5- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थीं परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्धाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा ।

6- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु पृथक से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ ।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in